(11)

राज्य सरकार
बनाम
चुटैर वेदी

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14– फारम स0 562

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक .....से ..... तक

जिला– राँची, केस का प्रकार– विविध (संदिग्ध जमाबन्दी) वाद संख्या- 23/2019–20
AC-T.R.No-03/2019-20

अंचल–नगड़ी

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई, कार्रवाई के बारे में टिप्पणीः तारीख सहित
06/8/2022	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। उनका पक्ष सुना। इस वाद की कार्यवाही उपायुक्त, रांची के आदेश ज्ञापांक 1956(II) दिनांक 01.06.2018 द्वारा निर्गत राजस्व शाखा के आदेशानुसार अंचलाधिकारी नगड़ी, रांची से प्राप्त विविध वाद संख्या–23/19–20 के आलोक में प्रारम्भ की गई है। अभिलेख का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, नगड़ी, राँची के प्रतिवेदनानुसार वादग्रस्त भूमि मौजा पुन्दाग, थाना सं०–228, खाता सं०–383, प्लॉट नं०–1235, 1524, 446 कुल रकबा 2.61 एकड भूमि गैरमजरूआ खाता की सरकारी भूमि है। उपरोक्त भूमि के रैयतीकरण संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, यथा (1) 01.01.1946 के पूर्व का कोई भी रजिस्टर्ड पट्टा/हुकुमनामा/बन्दोवस्त परवाना (2) लगान निर्धारण की प्रति (एम फार्म)/रिटर्न की प्रति (3) 1955–56 से राजस्व रसीद की प्रति आदि प्राप्त नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि वर्णित भूमि की जमाबन्दी विधिसम्मत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अंचलाधिकारी नगड़ी, राँची द्वारा वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी निरस्त करने के लिए 4(h) की कार्रवाई हेतु अभिलेख अनुशंसा के साथ प्रेषित की गई है।	

अतः अंचलाधिकारी, नगड़ी, राँची की अनुशंसा के आलोक में वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी निरस्त करने के लिए B.L.R. Act1950 की धारा–4 (h) के तहत कार्रवाई हेतु उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर, रांची द्वारा भी अनुशंसा की गई है।

सुनवाई के कम में विपक्षी के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया कि प्लॉट 1235, 1524 और 446 गत सर्वे काल में खेवट संख्या 2 खाता संख्या 383 के अंतर्गत गैर मजरूआ मालिक दर्ज है खेवट न0–2 के मालिक बड़ा लाल कन्द्र नाथ साहदेव थे और उन्ही के नाम में गैरमजरूआ मालिक दर्ज पाया गया। विपक्षी के अनुसार उसकी माँ स्व० चुटेर देवी के नाम से महाराजा धिराज कुमार श्री बडालाल महेश्वरी, श्री बड़ा लाल कर्न्दप नाथ सहदेव, पालकोट से वर्ष 16.12.1936 ई0 वो बजरिये हुकुमनामा से निम्नलिखित भूमि द्वितीय पक्ष को प्राप्त हुआ। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के उपरांत जैसा कि हुकूमनामा द्वारा बन्दोबस्ती प्राप्त कर मालगुजारी देते रहे है, एवं शांतिपूर्ण तरीके से दखल–कब्जा, व जोत–कोड करते आ रहे है। द्वितीय पक्षकार, भूतपूर्व जमींदार ने अपने रिटर्न में भी इस रैयती बन्दोबस्ती को दर्शाया, जिसका विद्वान न्यायालय अपर समाहर्त्ता राँची के केस न०–6/55–56 (रिर्टन से सबंधित) में दर्शाया गया व पाया गया।

विपक्षी का यह भी कहना है कि अंचल न्यायालय, रातू लगान निर्धारण Case No- 03-R8 of 82-83 के आधार पर मेरी माँ स्व० चुटैर देवी के नाम से लगान निर्धारण अनुमंडल पदाधिकारी सदर राँची का आदेश 22.06.1985 उसके पश्चात उप समाहर्त्ता भूमि सुधार राँची का आदेश 12.09.1990 उसके पश्चात अंचल पदाधिकारी रातू का आदेश 19.11.1990 प्राप्त होने के पश्चात जमींदारी उन्मुलन की तिथि से Form M को निर्गत की तिथि 1955–56 से 1990–91 तक का सरकार के राजस्व सिरिश्ते में एक मुश्त राजस्व मालगुजारी ली गई जिसका रसीद सं0 792742 दिनांक 20.11.1990 है उसके पश्चात प्रत्येक साल 2000–2001 तक का लगान रसीद निर्गत है।

जो पजी–।। के मध VI 'A' के पृष्ठ संख्या 47 पर इंद्राज है। इस प्रकार प्राप्त जमीन पर 1936 से शांतिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है।

विपक्षी के अनुसार प्लॉट संख्या 1235 में रकवा 0.30 डी0 भूमि पर खेती करते है। इस प्रकार प्राप्त जमीन पर 1936 से शांतिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है।

विपक्षी को सुना एंव अभिलेख का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी नगड़ी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, रांची द्वारा BLR Act, 1950 की धारा 4(h)के तहत कार्रवाई हेतु अनुशंसा के साथ यह वाद प्रेषित किया गया है। BLR Act, 1950 की धारा 4(h) के तहत कार्रवाई हेतु समाहर्त्ता को शक्ति प्रदत्त है।

अतः अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु समाहर्त्ता/उपायुक्त रांची के न्यायालय में भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

06/8/22

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

06/8/22

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2022.08.13 12:23:34 +05:30
Location: 192.168.0.15